संख्या 35/XXXVI (2)–दो/2009–1–सात (ई) /02

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 24 फरवरी,2009

विषय– जिला टिहरी की तहसील कीर्तिनगर में स्थापित सिविल जज (जू.डि.) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–03/XXXVi(2)–दो/2007–1–सात (ई)/02, दिनांक 19 फरवरी 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जिला टिहरी की तहसील कीर्तिनगर में स्थापित सिविल जज (जू.डि.) के अस्थाई न्यायालय के लिये स्वीकृत सभी अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, दिनांक 01.03.08 से 28.02.2010 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त न्यायालय के लिये स्वीकृत कार्यालय व्यय के अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या–14–सात–ई/न्याय अनुभाग/2004 दिनांक 29 .03. 2004 द्वारा किया गया था।

2– उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्ते सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के लेखा शीर्षक '2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेतर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–सिविल और सेशन्स न्यायाधीश–00' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयो के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए0–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24 (8)/92, दिनांक 7.11.92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त), द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव।

संख्या 35 (1) XXXVi(2)/2009–1–सात (ई)/02–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड,माजरा, देहरादून।
2– जिला जज/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,टिहरी ।
3– सिविल जज (जू.डि.) कीर्तिनगर, जिला टिहरी ।
4– वित्त अनुभाग–5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनुसचिव।